संख्या-15/2015/105(1)/1-14-2015-52(61)/91-37

प्रेषक,

बृज नन्दन लाल,
उप सचिव,
उत्तर प्रदेश शासन ।

सेवा में,

निदेशक,
राजकीय मुद्रण एवं लेखन सामग्री,
उ0प्र0, 96, महात्मा गांधी मार्ग,
इलाहाबाद।

राजस्व अनुभाग-14 लखनऊ दिनांक 24 जून, 2015

विषय: जनपद-सोनभद्र, की तहसील-राबर्टसगंज, व परगना अगोरी के ग्राम मारकुण्डी एवं पडरच को सर्वेक्षण एवं अभिलेख क्रियाओं से से पृथक करने हेतु अधिसूचना का गजट में प्रकाशित किया जाना।

महोदय,

उपर्युक्त विषयक अंग्रेजी एवं हिन्दी अधिसूचना संख्या-105/1-14-2015-52(61)/91-37 दिनांक 24-06-2015 की प्रति संलग्न कर प्रेषित करते हुए मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि कृपया इसे उत्तर प्रदेश के शासकीय साधारण गजट के आगामी अंक में प्रकाशित कराते हुए, प्रकाशित गजट अधिसूचना की 50 प्रतियां शासन को उपलब्ध कराने का कष्ट करें।

संलग्नक: यथोक्त

भवदीय,

बृज नन्दन लाल
उप सचिव ।

संख्या-15/2015/105(2)/1-14-2015-52(61)/91-37 तद्दिनांक

1- आयुक्त एवं सचिव, राजस्व परिषद, उ0प्र0 अनुभाग-9, लखनऊ को उनके पत्र संख्या-114/9-122/09 दिनांक 13 मार्च, 2015 के सन्दर्भ में प्रेषित।

2- जिलाधिकारी/ अधिलेख अधिकारी, सोनभद्र ।

आज्ञा से,

बृज नन्दन लाल
उप सचिव ।

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नहीं है ।

2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.nic.in से सत्यापित की जा सकती है ।

http://shasanadesh.up.nic.in

Uttar Pradesh Shasan
Rajaswa Anubhag-14

The Governor is pleased to order the publication of following English translation of notifcation no-105/1-14/2015 -52(61)/91-37 Dated June 24 , 2015 for general information.

NOTIFICATION

No- 105@1&14@2015-52/(61)/91-37
Lucknow: Dated: June 24 , 2015

In exercise of the powers under section 48 of the U.P. Land Revenue Act, 1901(U.P. Act no III of 1901) the Governor is pleased to declare that Survey and Record Operation in Villages-Markundi & Pararch, Tehsil-Robertsganj, Pargana-Agori Distirct- Sonebhadra which were placed under Survey and Record Operation vide notification no. 75/,(37)-p-73 dated September 17, 1974 shall be closed with effect from the date of publication of this notifcation in the Gazette.

By order,

Suresh Chandra
Pramukh Sachiv.

http://shasanadesh.up.nic.in

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नहीं है ।
2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.nic.in से सत्यापित की जा सकती है ।

उत्तर प्रदेश शासन
राजस्व अनुभाग-14
संख्या-105(1)/1-14-2015-52(61)/91-37
लखनऊ दिनांक 24 जून, 2015

अधिसूचना

यू0पी0 लैण्ड रेवेन्यू ऐक्ट, 1901(यू0पी0ऐक्ट संख्या-3, सन् 1901) की धारा-48 के अधीन शक्ति का प्रयोग करके राज्यपाल घोषणा करते हैं कि जनपद सोनभद्र की तहसील-राबर्टसगंज, परगना-अगोरी के ग्राम-मारकुण्डी एवं पडरच, जिन्हे अधिसूचना संख्या 17/ए(37)-च-73 दिनांक 17 सितम्बर, 1974 द्वारा सर्वेक्षण एवं अभिलेख क्रिया के अधीन रखा गया था, में सर्वेक्षण एवं अभिलेख क्रिया इस अधिसूचना के गजट में प्रकाशन के दिनांक से बन्द हो जायेंगी।

आज्ञा से,

सुरेश चन्द्रा
प्रमुख सचिव।

http://shasanadesh.up.nic.in

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नहीं है ।
2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.nic.in से सत्यापित की जा सकती है ।